मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र. Q-3 / वित्त एवं लेखा / NR–4 / NREGS-M.P / 2011 भोपाल, दिनांक 11 / 04 / 11

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महत्वपूर्ण बैठक
महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला समस्त (म.प्र.)

विषयः– वित्त एवं लेखा संबंधी महत्वपूर्ण बैठक दिनांक 20 / 04 / 2011

––00––

विषयान्तर्गत कृपया अनुरोध है स्कीम से संबंधित निम्न जानकारी आपके परियोजना अधिकारी, लेखाधिकारी एवं डॉटाएन्ट्रीऑपरेटर के साथ परिषद् मुख्यालय में अनिवार्य रूप से प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें। संबंधित अधिकारीगण निर्धारित तिथि दिनांक 20 / 04 / 2011 को परिषद् मुख्यालय भोपाल में प्रातः 10:30 बजे अनिवार्यतः उपस्थित होंगे।

1. वित्त वर्ष 2010–11 का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप बी–17

2. मार्च 2011 अंत तक की धनराशि उपलब्धता एवं व्यय स्थिति संलग्न एमपीआर प्रपत्र अनुसार। (यह ध्यान दें कि वित्त वर्ष 2010–11 का अंतिम शेष वित्त वर्ष 2011–12 का प्रारंभिक शेष होना चाहिए, साथ ही आंकड़ों में अंतर न हो)। इसी के साथ यह भी लेख है कि जो जानकारी परिषद् को प्रदाय कर रहे हैं वह नरेगा सॉफ्ट पर www.nrega.nic.in जिलावार एमपीआर में माह मार्च 2011 अंत तक की स्थिति में अनिवार्यतः भी परिलक्षित हो। आपकी सुविधा हेतु प्रत्येक जिले से संबंधी 01.04.2010 की स्थिति का प्रारंभिक शेष प्रदाय केन्द्रांश राज्यांश संलग्न पत्रक में अंकित किया गया है आप इन आंकड़ों को देख लें इसके उपरांत अन्य चाही गई जानकारी संबंधित कॉलम में अंकित करवाना सुनिश्चित करें। वित्त वर्ष 2011–12 का प्रारम्भिक शेष अनिवार्य रूप से सूचित करें ।

2.(i) वित्त वर्ष 2010–11 में उपलब्ध राशि के विरूद्ध MPR एवं MIS में परिलक्षित व्यय एवं MIS न हो पाने के कारण । MIS में अंकित व्यय की जानकारी भी पृथक से अंकित करते हुए बिन्दु दो में दर्शित प्रपत्र में पृथक से दी जाए ।

2.(ii) CPSMS में आपके जिले के सभी खाते पंजीकृत हो चुके हैं इस संबंध में वर्तमान स्थिति बताई जाये । यदि इस संबंध में कोई असुविधा है तो उसे भी अंकित किया जाए ।

2.(iii) ऑनलाईन राशि मॉंग के प्रस्ताव चूँकि निकट भविष्य में प्रस्तुत करने होंगे अतः संबंध में जिलों द्वारा की गयी प्रगति । साथ ही जानकारी निम्न प्रपत्र में दी जाए ।

क्रमांक	ऑनलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की पूर्व तैयारी में आ रही कठिनाई बिन्दुवार (संक्षेप में एवं स्पष्ट बताएं)	कठिनाई दूर करने हेतु आपका सुझाव

3. निर्धारित प्रपत्र 10 में जिलों का 31 मार्च 2011 की स्थिति में प्रशासनिक व्यय की जानकारी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधी नरेगा प्रशासनिक मद की राशि जो कि कार्यपालन यंत्री को प्रदाय की गई है की जानकारी पृथक से प्रपत्र–10 में संलग्न करें। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों ही प्रपत्र–10 की जानकारी को पृथक प्रपत्र–10 में समेकित भी करें। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त अंकित प्रशासनिक व्यय अनिवार्य रूप से एमआईएस में दर्ज हो एवं यह जिम्मेदारी आपकी होगी।

4. लाईन विभाग की वित्त वर्ष 2010–11 की संलग्न प्रपत्र में 31 मार्च 2011 अंत तक की स्थिति में जानकारी।

5. वित्त वर्ष 2005–06 से वित्त वर्ष 2009–10 तक पृथक–पृथक वित्त वर्षवार सी.ए. आडिट रिपोर्ट का पालन प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में। इसी के साथ वित्त वर्ष 2008–09 का समेकित आडिट रिपोर्ट का पालन प्रतिवेदन। प्रत्येक वित्त वर्ष वार एंव समेकित ऑडिट 2008–09 रिपोर्ट को निम्नानुसार अंकित प्रपत्र में पृथक पृथक दिखाना होगा। कंडिकाओं का पालन पतिवेदन सूक्ष्मतः एवं तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है

जिले का नाम –
वित्त वर्ष –

क्रमांक	सी.ए. ऑडिट रिर्पोट में अंकित की गई कण्डिका	कण्डिका का पालन प्रतिवेदन	संलग्नकों को उत्तर के परिप्रेक्ष्य में पृष्ठांकित कर संलग्न किया जाये

हस्ताक्षर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ताक्षर
कलेक्टर

5.(i) आंतरिक लेखापरीक्षण हेतु जिले द्वारा की गई कार्यवाही ।

6. जिले में मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अकुशल श्रम भुगतान की जानकारी निम्न प्रपत्र में।

जिले का नाम	जनपद का नाम (जहाँ मोबाईल बैंकिंग के माध्यम से मजदूरी भुगतान किया जा रहा है)	ग्राम पंचायत का नाम	भुगतान किए गए जॉबकार्डधारियों की संख्या	मोबाईल बैंकिंग के माध्यम से भुगतान की गई राशि

हस्ताक्षर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ताक्षर
कलेक्टर

7. योजना से संबंधी अनुमत्य खातों के अतिरिक्त समस्त खाते बंद कर दिये गये हैं से संबंधी प्रमाण–पत्र की भाषा निम्नानुसार है।

''प्रमाणित किया जाता है कि मनरेगा योजनान्तर्गत जिला जनपद एंव ग्राम पंचायत स्तर पर अनुमत्य खातों के अतिरिक्त शेष अतिरिक्त खाते बंद कर दिये गये हैं एवं नियमानुसार जितनी संख्या PRIs की है उतने ही खाते नियमानुसार संचालित है।''

हस्ताक्षर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ताक्षर
कलेक्टर

8. योजना प्रारंभ से मार्च 2011 अंत तक केन्द्रांश एवं राज्यांश प्रदाय की जानकारी परिषद् स्तर पर संकलित की गई है इस जानकारी को संबंधित लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणन करना होगा अतः इस संबंध में आवश्यक जानकारी साथ रखनी होगी ताकि तत्संबंधी कार्यवाही की जा सके।

अंकित कर्मचारियों का उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा इनके विरूद्ध परिषद् स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की जायेगी। इसी के साथ यह भी लेख है कि जानकारियों का संकलन तत्काल ही किया जायेगा अतः पृथक–पृथक बिन्दुवार जानकारी भिजवाई जानी है । जानकारियों को एक ही बुकलेट में संकलित न करते हुए पृथक–पृथक रखा जाए ताकि उनका संकलन शीघ्र ही पृथक–पृथक संलग्न डेस्क पर किया जा सके। डेस्क का विवरण संलग्न है। जिले से आये प्रतिनिधिगण संबंधित जानकारी पर अच्छी तरह तैयारी से आयेगें एवं पूरी जानकारी साथ में लाएंगे तथा परिषद् की बिना अनुमति के परिषद् मुख्यालय नहीं छोड़ेगें। जानकारियों की हॉर्ड एवं साफ्ट कापी साथ में लायेगें। आंकड़ों से संबंधित जानकारी शुद्ध होने का उत्तरदायित्व संबंधित जिले के अधिकारियों का होगा।

R. Saxena 11.4.11

(डॉ॰ राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म॰प्र॰ राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल

जानकारी संकलन करने हेतु डेस्क एवं उनके प्रभारी अधिकारी

डेस्क नम्बर	जानकारी जो दी जानी है	जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारी का नाम	पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी
1	बिन्दु 1 एवं 2,	श्री नितिन मिश्रा ऑडिटर	श्री प्रदीप साहू ऑडिट अधिकारी
2	बिन्दु 3	सुश्री मनीषा वाजपेयी शर्मा ऑडिटर	श्री प्रदीप साहू ऑडिट अधिकारी
3	बिन्दु 4, 6 एवं 7	सुश्री स्वाति श्रीवास सहायक लेखाधिकारी	श्री श्रीकृष्ण शर्मा लेखाधिकारी
4	बिन्दु 5	श्री जे.आर. सोनी सहायक लेखाधिकारी एवं श्री जी.डी. अग्रवाल लेखापाल	श्री श्रीकृष्ण शर्मा लेखाधिकारी
5	बिन्दु 8	श्री विनय तिवारी सहायक लेखाधिकारी	श्री प्रदीप साहू ऑडिट अधिकारी

वित्त वर्ष 2010–11 में लाईन विभाग के पास उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रू. लाखों

क्र	लाईन विभाग का नाम	1.4.2010 को लाईन विभाग के पास प्रारंभिक शेष	वित्त वर्ष 2010–11 में लाईन विभाग को प्रदत्त राशि	कुल राशि	कुल राशि के विरूद्ध लाईन विभाग से वापस ली गई राशि	वापस लेने के उपरांत शेष रही राशि	शेष राशि के विरूद्ध व्यय	वित्त वर्ष 2010–1 अंत की स्थिति में लाईन विभाग के पास अंतिम शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	वन विभाग							
2	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा							
3	लोक निर्माण विभाग							
4	जल संसाधन विभाग							
5	कृषि विभाग							
6	उद्यानिकी विभाग							
7	वाटर शेड विभाग							
8	रेशम विभाग							
9	मछली पालन विभाग							
10	नर्मदा घाटी							
11	अन्य विभाग							

E:\Aks-jcfa-\JCFA Nemi Teep, Letter, Notesheet\Line Dipartment Amount Formet

वित्त वर्ष 2010–11 का उपलब्ध राशि एवं व्यय का पत्रक

राशि रू. लाखों में

संभागानुसार	संभाग का नाम	जिले का नाम.	प्रारंभिक शेष 1.4.2010 की स्थिति में	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश + राज्यांश	अन्य प्राप्ति	कुल उपलब्ध राशि	मजदूरी पर व्यय	सामग्री पर व्यय	प्रशासनिक व्यय		कुल व्यय	वर्षात पर शेष रही राशि जोकि वित्त वर्ष 2011–12 का प्रारंभिक शेष होगी (8–13)
											आवर्ती	अनावर्ती		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	CHAMBAL	BHIND	1468.82	531.56	59.07	590.63								
2		MORENA	2892.06	1042.97	115.88	1158.85								
3		SHEOPUR	5656.99	1107.41	123.05	1230.46								
4	GWALIOR	ASHOK NAGAR	4041.85	-962.08	59.77	-902.31								
5		DATIA	2257.99	23.73	2.64	26.37								
6		GUNA	5121.72	5747.01	638.56	6385.57								
7		GWALIOR	1085.91	1920.68	160.74	2081.42								
8		SHIVPURI	11248.02	35.36	-107.18	-71.82								
9	SAGAR	CHHATARPUR	9468.76	2047.59	194.18	2241.77								
10		DAMOH	3920.17	4569.37	507.71	5077.08								
11		PANNA	5390.44	7168.09	796.46	7964.55								
12		SAGAR	4494.23	7190.60	665.62	7856.22								
13		TIKAMGARH	9404.26	2952.41	328.05	3280.46								
14	REWA	REWA	4212.26	5223.02	391.45	5614.47								
15		SATNA	11240.44	3073.92	308.20	3382.12								
16		SIDHI	9149.17	28.78	-1030.13	-1001.35								
17		SINGRAULI	5512.97	6025.13	2.79	6027.92								
18	SHAHDOL	ANUPPUR	5526.86	9238.21	1026.47	10264.68								
19		DINDORI	6710.23	6922.58	769.18	7691.76								
20		SHAHDOL	9521.87	4564.24	90.47	4654.71								
21		UMARIA	5060.68	8871.26	985.70	9856.96								

वित्त वर्ष 2010–11 का उपलब्ध राशि एवं व्यय का पत्रक

राशि रू. लाखों में

संभागानुसार	संभाग का नाम	जिले का नाम.	प्रारंभिक शेष 1.4.2010 की स्थिति में	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश + राज्यांश	अन्य प्राप्ति	कुल उपलब्ध राशि	मजदूरी पर व्यय	सामग्री पर व्यय	प्रशासनिक व्यय		कुल व्यय	वर्षांत पर शेष रही राशि जोकि वित्त वर्ष 2011–12 का प्रारंभिक शेष होगी (8–13)
											आवर्ती	अनावर्ती		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	JABALPUR	BALAGHAT	10674.09	14001.98	822.45	14824.43								
23		CHHINDWARA	5806.70	8500.49	700.05	9200.54								
24		JABALPUR	3980.77	2678.85	75.43	2754.28								
25		MANDLA	6529.81	12231.05	1359.01	13590.06								
26		KATNI	4186.28	6218.46	690.94	6909.40								
27		NARSINGHPUR	2872.88	1699.47	188.83	1888.30								
28		SEONI	9376.21	6066.22	496.25	6562.47								
29	BHOPAL	BHOPAL	1521.50	206.26	22.92	229.18								
30		RAISEN	3442.33	183.77	20.42	204.19								
31		RAJGARH	5019.70	8347.57	927.51	9275.08								
32		SEHORE	2324.92	3132.57	340.46	3473.03								
33		VIDISHA	3293.74	780.35	33.28	813.63								
34	HO"BAD	BETUL	6988.22	7538.38	415.37	7953.75								
35		HARDA	3425.86	-1975.47	2.73	-1972.74								
36		HOSHANGABAD	1952.03	622.08	-226.53	395.55								
37	UJJAIN	DEWAS	5184.83	4611.58	501.28	5112.86								
38		MANDSAUR	3066.11	3502.28	389.15	3891.43								
39		NEEMUCH	1658.46	1832.55	203.62	2036.17								
40		RATLAM	3307.67	3432.44	381.38	3813.82								
41		SHAJAPUR	2485.88	1844.23	204.91	2049.14								
42		UJJAIN	2858.94	2243.69	249.29	2492.98								
43	INDORE	ALIRAJPUR	4112.49	5419.40	602.16	6021.56								
44		BARWANI	6509.53	15035.47	1170.61	16206.08								

वित्त वर्ष 2010–11 का उपलब्ध राशि एवं व्यय का पत्रक

राशि रू. लाखों में

संभागानुसार	संभाग का नाम	जिले का नाम.	प्रारंभिक शेष 1.4.2010 की स्थिति में	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश + राज्यांश	अन्य प्राप्ति	कुल उपलब्ध राशि	मजदूरी पर व्यय	सामग्री पर व्यय	प्रशासनिक व्यय		कुल व्यय	वर्षात पर शेष रही राशि जोकि वित्त वर्ष 2011–12 का प्रारंभिक शेष होगी (8–13)
											आवर्ती	अनावर्ती		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45		BURHANPUR	3865.49	917.24	101.92	1019.16								
46		DHAR	8260.00	15689.00	1098.77	16787.77								
47		INDORE	749.23	2079.06	231.01	2310.07								
48		JHABUA	5717.32	7793.98	532.66	8326.64								
49		KHANDWA	7167.66	7518.08	913.12	8431.20								
50		KHARGONE	8982.69	9990.19	776.69	10766.88								